तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (उप तहसीलदार झंवर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 19 / 2020**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.02.20	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह, पता शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.11.2019 में उसके द्वारा (1) पटवारी महोदय पटवार मण्डल खुडाला के राजकीय कार्य के माह जुलाई 2017 की मासिंक सारांश की नियमानुसार प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उप तहसीलदार झंवर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उप तहसीलदार झंवर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उप तहसीलदार झंवर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उप तहसीलदार झंवर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	